

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य भौतिक विज्ञान के पद पर चयनित होने पर निम्नांकित कार्मिक को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्म तिथि	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
01.	सुचित्रा यादव, खोराबीसल, जालसू, जयपुर	भौतिक	30.10.1987	शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:- एफ1(23-25)RPSC/Appt /HRD/ 2017/ 46 दिनांक: 29 नवम्बर 2018 एवं एफ1(23)RPSC/Appt /HRD/ 2017/ 88 दिनांक: 20 दिसम्बर 2018

संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें ।




(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/अनापत्ति/कार्यमुक्त/2015 दिनांक: 07/01/2019
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. उपशासन सचिव, संबंधित विभाग ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), संबंधित संभाग ।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मुख्यालय जयपुर ।
7. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआ/एबी/ओएसी प्रभाग ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर